

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-29/4/2019

संख्या-1/श्रम वि०ई० 7-7028/2011 श्र०सं०.....19...../एस०एल०पी० सं० 31697/2011
में पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कृष्णा राम, प्राचार्य को वित्त विभाग के संकल्प सं०
10770, दिनांक 30.12.81 के प्रावधान के अनुसार प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की देयता तिथि 04.
7.84 को पद उपलब्ध होने पर दिनांक 04.7.84 के प्रभाव से प्रवर कोटि प्राचार्य अपुनरीक्षित
वेतनमान ₹ 3,000-4500/- के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

2. उक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

3. एतद्विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं० 345, दिनांक 02.12.03 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1/श्रम वि०ई० 7-7028/2011 श्र०सं०.....19...../ पटना-15, दिनांक-29/4/2019

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार बिहार, पटना/महालेखाकार झारखंड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड, राँची को उनके पत्रांक 235, दिनांक 02.02.18 के आलोक में/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/श्री कृष्णा राम, 503 बी, बंसल प्लाजा, स्टेशन रोड, राँची/आई०टी०/मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव

1535

496

संख्या-1/भ्रम वि०स्था०7-7002/2000भ०नि०- 346 गटना, दिनांक 2/12/03

स्व० राजेन्द्र प्रसाद, प्राचार्य के वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 30-12-81 के प्रावधान के अनुसार प्रथम कातबद्ध प्रोन्नति की देयता तिथि 1-8-88 के उद उपलब्ध होने पर दिनांक 1-8-88 के प्रभाव से प्रवर कोटि प्राचार्य, अनुसूचित वेतनमान 3000-4500/-के उद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या-1/भ्रम वि०स्था०7-7002/2000भ०नि०- 347 गटना, दिनांक 2/12/03

श्री दीपक कच्छप, प्राचार्य के उद उपलब्ध होने की तिथि से प्रवर कोटि प्राचार्य, वेतनमान 3000-4500/- (अनुसूचित) के उद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

2- प्रवर कोटि उक्त उद अधिकारियों को प्राचार्य के उद पर नियमित प्रोन्नति का वित्तीय लाभ प्रोन्नति की तिथि से देने के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
दिनांक 1.12.2000
॥ चन्द्र नाथ झा ॥
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या-1/भ्रम वि०स्था०7-7002/2000भ०नि०- 347 गटना, दिनांक 2/12/03

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजस्व मुद्रणालय, कुल्लु गूलजाराबाग, गटना को महा-राज्यपाल के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

दिनांक 1.12.2000
॥ चन्द्र नाथ झा ॥
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या-1/भ्रम वि०स्था०7-7002/2000भ०नि०- 347 गटना, दिनांक 2/12/03

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द गेटल मार्ग, गटना/पौ०-हिनु, रांची/अवर सचिव, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषागार विभाग, बिहार, गटना/सम्बन्धित कोषागार उद अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 1.12.2003
॥ चन्द्र नाथ झा ॥
सरकार के उप सचिव।

11/11/83

बिहार सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ।

:- अधिसूचना :-

संख्या-1/श्रम वि०स्था०7-7002/2000श्र०नि०- 341 मटना, दिनांक 2/12/03
श्री श्रीधरेश चन्द्र प्रसाद जिन्हें वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक-
30-12-81 से प्रावधान के अनुसार 1-4-81 से कनीय प्रवर कोटि प्राचार्य अगुनरीक्षित
वेतनमान् रु० 3000-4500/- के पद पर प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति दी गयी है, जो समान
वेतनमान् रु० 3000-4500/- अगुनरीक्षित में पद उपलब्ध होने की तिथि 1-4-85 के
प्रभाव से प्रवर कोटि प्राचार्य के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है ।

संख्या-1/श्रम वि०स्था०7-7002/2000श्र०नि०- 342 मटना, दिनांक 2/12/03
श्री कुमोद नन्दन प्रसाद श्रीविंस्त्व जिन्हें वित्त विभाग के संकल्प संख्या-
10770 दिनांक 30-12-81 के प्रावधान के अनुसार 1-4-81 से कनीय प्रवर कोटि प्राचार्य
अगुनरीक्षित वेतनमान् रूपये 3000-4500/- के पद पर प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति दी गयी
है, जो समान वेतनमान् रु० 3000-4500/- अगुनरीक्षित में पद उपलब्ध होने की तिथि
7-7-88 के प्रभाव से प्रवर कोटि प्राचार्य के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है ।

संख्या-1/श्रम वि०स्था०7-7002/2000श्र०नि०- 343 मटना, दिनांक 2/12/03
श्री दिनेश प्रसाद जिन्हें वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक-
30-12-81 के प्रावधान के अनुसार 1-4-81 से कनीय प्रवर कोटि प्राचार्य अगुनरीक्षित
वेतनमान् रूपये 3000-4500/- के पद पर प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति दी गयी है, जो समान
वेतनमान् रूपये 3000-4500/- अगुनरीक्षित में पद उपलब्ध होने की तिथि 7-7-88
के प्रभाव से प्रवर कोटि प्राचार्य के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है ।

संख्या-1/श्रम वि०स्था०7-7002/2000श्र०नि०- 344 मटना, दिनांक 2/12/03
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जिन्हें वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक
30-12-81 के प्रावधान के अनुसार 1-4-81 से कनीय प्रवर कोटि प्राचार्य अगुनरीक्षित
वेतनमान् रु० 3000-4500/- के पद पर प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति दी गयी है, जो
समान वेतनमान् रु० 3000-4500/- अगुनरीक्षित में पद उपलब्ध होने की तिथि
10-09-88 के प्रभाव से प्रवर कोटि प्राचार्य के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है ।

संख्या-1/श्रम वि०स्था०7-7002/2000श्र०नि० 345 मटना, दिनांक 2/12/03
श्री कृष्णा राम, प्राचार्य को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक
30-12-81 के प्रावधान के अनुसार प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की देयता तिथि 4-7-88 को